

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	4223 / 2022	अंजू कुमारी	1. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर। 2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर। 3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनूं। 4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खेतडी, झुन्झुनूं।
2.	4225 / 2022	कान्ता	1. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3.	4227 / 2022	किरण सैनी	2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर। 3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनूं। 4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सूरजगढ़, झुन्झुनूं।
4.	4228 / 2022	मुकेश कुमारी	1. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर। 2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर। 3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनूं। 4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उदयपुरवाटी, झुन्झुनूं।

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.09.2022

आदेश की दिनांक : 19.10.2022

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री जावेद अहमद, अभिभाषक

समक्ष :- मातादीन शर्मा, सदस्य

एम.एस.काला, सदस्य

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

उपरोक्त अपीलों में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपीलों में चुनौती का आधार एवं तथ्यात्मक स्थिति समान होने से, न्यायहित में अपील संख्या 4223 / 2022 अंजू कुमारी की अपील को अग्रग अपील मानकर उसके तथ्य लेते हुए, उक्त टेबिल में अंकित अपीलों को एक ही आदेश से निस्तारित किया जा रहा है।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दलेलपुरा, खेतडी, झुन्झुनूं में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उप स्वास्थ्य केन्द्र, शोभाला, जैतमाल, बाड़मेर बिना प्रशासनिक आवश्यकता के दुर्भावनापूर्वक बिना मस्तिष्क का प्रयोग किए हुए तथा अपीलार्थी के स्थान पर अन्य कार्मिक को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए स्थानान्तरण किया गया है। उनका यह कहना है कि अपीलार्थी की सेवाएं पंचायतीराज को स्थानान्तरित गतिविधियों के संबंध में अंतरित कार्मिक है और आक्षेपित आदेश राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8 (iii) के उल्लंघन में है। उनका तर्क है कि उक्त नियम के तहत एक जिले से दूसरे जिले में अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायती राज विभाग की पूर्व स्वीकृति/सहमति से ही किया जा सकता है। अपीलार्थी के बच्चे अध्ययनरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण शैक्षणिक सत्र के मध्य किया गया है, जो स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक-1) अपीलार्थीगण की सीमा तक निरस्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दलेलपुरा, खेतडी, झुन्झुनूं में कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना-पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थीगण द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक-1) के विरुद्ध अनुतोष चाहा है। आलोच्य आदेश में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि आलोच्य आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है, जिसका अभिप्राय यही है कि आलोच्य आदेश पंचायतीराज के अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री (Minister) महोदय से अनुमोदित है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आमजन को सहज व सुलभ उपचार उपलब्ध कराने एवं व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापित होने तथा आदेशों की प्रतीक्षा में थे, का समायोजन/पदस्थापन सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर किए गए है। इससे किसी प्रकार की दुर्भावना की स्थिति प्रकट नहीं होती है। प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं छात्रहित में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस**

**बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :-

*"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस.कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :-

*"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."*

अतः इस संबंध में हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

अपीलार्थी ने अपील में स्वयं का दूरस्थ स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :-

*"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."*

अतः इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर अन्य कार्मिक को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552) में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :-

*"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."*

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 4223/2022 में एवं आदेश की प्रतिलिपि उपर्युक्त टेबिल में अंकित अन्य अपीलों की पत्रावलियों में संलग्न की जावें।

(एम.एस.काला)  
सदस्य

(मातादीन शर्मा)  
सदस्य